

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 306/2024

अनवान :-

1. जग्गा सिंह पुत्र जेठा सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 2 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-वादीयान

बनाम्

1. जेठा सिंह पुत्र गनपत सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 02 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मुख्तयार सिंह पुत्र जेठा सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 2 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सुखदेव सिंह पुत्र जेठा सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 2 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. जगिन्द्रो पत्नी पुत्र जेठा सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 2 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. कुलदीप कौर पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री जेठा सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 4 चक 32 एम.ओ.डी. गुरुसर मोडिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 19/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री श्योकतअली व प्रतिवादी वकील रियासत अली अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक कि चक नं० 10 एफटीपी के खाता सं० 11/8 मे कुल .569 व चकनं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 146/10 में कुल 2.152 है० में दर्ज प्रतिवादी सं० 1 के नाम की आराजी के वादी व प्रतिवादीगण सं० 2 व 3 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं०


धिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
एफटीपी के खाता सं० 11/8 व चकनं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 146/10 से प्रतिवादी सं० 1 जेठासिंह का नाम कलमजान किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में



अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन "नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधीक्षक (राजस्व)
सदन, मुख्य सचिव कार्यालय
दिल्ली